

कार्यालय झाप

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.09.2017 के अनुसार जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आवेदकों से प्रार्थना पत्रप्राप्त करने व सूचना प्रदान करने हेतु जन सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार मौर्य, पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

(के0 सत्यनारायणा)

निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक
यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग)

फोन: 0522-2390468 फैक्स: 0522-2724054

चतुर्थ तल, टावर-4 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

ईमेल- dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या:डीटी-854-2017/1545

दिनांक:लखनऊ: मई 15, 2025

प्रतिलिपि: पुलिस उपमहानिरीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस अधीक्षक/जनसूचना अधिकारी, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: प्रभारी आई0टी0 सेल, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, को इस आशय से कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: प्रभारी डिस्पैच, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, को इस आशय से कि उक्त की प्रति यातायात निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।